न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 289/2023
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अनिल कुमार पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सन्दीप कुमार पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. पालाराम पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मन्जु देवी पुत्री श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, प्रिंस मिढ़ा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 24.6.2023

वादीगण अनिल कुमार व अन्य ने प्रतिवादीगण पालाराम वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादीगण की बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2.100 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 93/65 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.170 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं

लगातार --2

24/6

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल किकरवाली

प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 2 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) **वादीगण अनिल कुमार पुत्र श्री पालाराम एवं सन्दीप कुमार पुत्र श्री पालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.100 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 पालाराम पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 93/65 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.170 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 93/65 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति

लगातार --3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल बोलांवाली

दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.100 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 93/65 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.170 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.100 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी (प्रथम),
शिविर स्थल ...किकरवाली
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 289 /2023

---

1. अनिल कुमार पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सन्दीप कुमार पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. पालाराम पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मन्जु देवी पुत्री श्री पालाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.6.2023

सत्यमेव जयते
Web Court - Official

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड,** प्रिंस मिढ़ा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 55/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.100 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.......निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2023... को जारी किया जाता है।

24/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
तहसीलदार (राजस्व)
शिविर स्थल बोलांवाली